



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 मार्च, 2005

चैत्र 8, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग - 2

संख्या: 1058-सैंतीस-2-2005-3 (11)/2004

लखनऊ, 29 मार्च, 2005

अधिसूचना

प० आ० -226

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2001) की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा प्रथम परिनियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा प्रथम नियमावली 2005

- 1) यह परिनियमावली उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा 2005 कही जाएगी ।
- 2) यह इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

अध्याय-1

इस परिनियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(एक) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय

परिभाषा

पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 2001 से है।

(दो) "संघटक महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो विश्वविद्यालय के नियंत्रण में हो और जो मुख्य परिसर या अन्यत्र स्थापित हो।

(तीन) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो विश्वविद्यालय के नियंत्रण में हो और इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंध के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो।

(चार) इस परिनियमावली में अपरिभाषित और अधिनियम में अप्रयुक्त शब्दों और, पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में समनुदेशित हो।

(पाँच) "विहित" का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से हैं।

अध्याय -2

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी (अधिनियम की धारा 18) (क) कार्य परिषद्, (ख) विद्या परिषद् (ग) वित्त समिति (घ) परीक्षा समिति, (ङ.) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जैसा कि परिनियमावली द्वारा घोषित किया जाय, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे।
कार्य परिषद्	क- कार्य परिषद्, अधिनियम की धारा 19 एवं 20 के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगी। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को अपनी शक्तियां प्रतिनिधानित कर सकती है। कार्य परिषद् में किसी भी विषय पर निर्णय बहुमत से लिया जायगा। कार्य परिषद् के अध्यक्ष को किसी भी प्रकरण पर मत देने का अधिकार तभी होगा, यदि कुल मत बराबर-बराबर विभाजित हो और उसका मत निर्णयकारी कारक हो।
विद्या परिषद्	ख- विद्या परिषद् का गठन किया जायगा और वह अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगी। विद्या परिषद् में नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। सम्बन्धित संकाय बोर्ड प्रत्येक संबंधित संकाय से एक प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करेगा। *कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट संकाय में कार्यरत चार आचार्यों को विद्या परिषद् का सदस्य बनाया जायेगा।
वित्त समिति	* संशोधन: कार्य परिषद् बैठक संख्या 13 (18.12.2008), प्रस्ताव संख्या 02
परीक्षा समिति	ग-वित्त समिति का गठन किया जाएगा और वह अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगी। ध- परीक्षा समिति अधिनियम की धारा 23 के उपबंध के अनुसार कार्य करेगी और तदनुसार धारा 23(1) के अधीन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे। क- संकायाध्यक्ष/महाविद्यालय का प्राचार्य (अध्यक्ष) (कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट) ख- परीक्षा नियंत्रक (सचिव)

ग— कुल सचिव

(सदस्य)

ध— कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अध्यापक

(सदस्य)

टिप्पणी— परीक्षा समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

ड— ऐसे अन्य प्राधिकारी, जैसाकि परिनियमावली द्वारा घोषित किया जाए विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे। **अन्य प्राधिकारी**

अधिनियम की धारा— 24 के अनुसार निम्नलिखित भी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे—

(एक) **संबंधित संकाय/महाविद्यालय का संकाय बोर्ड—** संकाय बोर्ड संबंधित संकाय के समस्त शैक्षणिक मामलों में पर्यवेक्षण करेगा और परामर्श देगा और विद्या परिषद को उसके अनुमोदन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

अध्याय—3

9— विश्वविद्यालय के अधिकारी (अधिनियम की धारा 9)

(1) अधिनियम की धारा 9 के अधीन उपबंध के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे—

विश्वविद्यालय के अधिकारी

क— कुलाधिपति

ख— कुलपति

ग— प्रति कुलपति

घ— कुलसचिव

ड— वित्त अधिकारी

च— परीक्षा नियंत्रक

छ— संकायाध्यक्ष

ज— विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत ऐसे अन्य व्यक्ति जैसा कि परिनियमावली द्वारा घोषित किया जाए, विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

समस्त अधिकारी (क—छ) नियुक्त किये जायेंगे और वे अधिनियम की धारा 10—16 के अधीन उपबंध के अनुसार शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 9 (ज) के अधीन कुलपति, विद्या परिषद की सिफारिश और कार्य परिषद के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/अध्यापक को विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित कर सकता है। तदनुसार (अधिनियम की धारा 9(ज) के अनुसार) विश्वविद्यालय के अन्य निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

क— संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण

ख— निदेशक, अनुसंधान

ग— निदेशक, प्रसार

घ— विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

ड— निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन

(2) 39(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्तियां, शक्तियां एवं उनके कर्तव्य

नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य

ख— कुलपति—

(एक) नियुक्ति— अधिनियम के अध्याय 4 धारा 11 में किये गये उपबंध के **कुलपति**

अनुसार की जाएगी।

(दो) शक्तियां एवं कर्तव्य— कुलपति की शक्ति और उसके कर्तव्य अधिनियम के अध्याय 4, धारा 12 में किये गये उपबंधों के अनुसार होंगे।

ग— प्रतिकुलपति—

प्रति कुलपति

नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य— अधिनियम के अध्याय 4, धारा 13 के अनुसार होंगे।

घ— कुलसचिव—

कुलसचिव

* (एक) किसी विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक तीन वर्ष की अवधि में लिए कुलसचिव नियुक्त किया जा सकता है।

(दो) ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(तीन) चयन समिति में कुलपति अध्यक्ष तथा सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य होंगे जो कुलसचिव के पद पर अभ्यर्थी का चयन करेगी। समिति की सिफारिशें सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित की जायेगी और उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी करेगी।

(चार) उपर्युक्त विकल्प (एक), (दो) और (तीन) के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त कर सकती है।

(पांच) कुलसचिव की शक्ति और कर्तव्य, अधिनियम की धारा 14 के उपबंध के अनुसार होंगे।

ङ— वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य, अधिनियम की धारा 16 एवं 17 के अनुसार होंगे।

च— परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रक

* (एक) किसी विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक तीन वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया जा सकता है।

(दो) ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(तीन) चयन समिति में कुलपति अध्यक्ष तथा सचिव, पशुधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य होंगे जो परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करेगी। समिति की संस्तुति सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।

(चार) उपरोक्त (एक), (दो) और (तीन) के विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त कर सकती है।

(पांच) शक्तियां और कर्तव्य, अधिनियम की धारा 15 के उपबंध के अनुसार होंगे।

* अधिसूचना 23 मई 2006 पशुधन अनुभाग -2 संख्या 2000 सैतीस-2-2006-3(11) 2004 दिनांक 17 मई 2006

छ-संकायाध्यक्ष-

संकाय का संकायाध्यक्ष संबंधित संकाय का अध्यक्ष होगा और इसके प्रशासन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा। किसी संकाय के संकायाध्यक्ष को निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे:-

संकायाध्यक्ष

(एक) वह संकाय के संबंधित विभाग के शिक्षण/शोध/विस्तार कार्य के संगठन और संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और उक्त प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक आदेश पारित करेगा।

(दो) वह परिनियमावली और संकाय से संबंधित अन्य विनियम के सम्यक अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) वह संबंधित संकाय के बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। वह संकाय के कार्यकलापों से कुलपति को समय-समय पर अवगत करायेगा।

(चार) वह संकाय के छात्रों के प्रवेश पंजीकरण और प्रगति का पर्यवेक्षण करेगा।

(पांच) वह संबंधित महाविद्यालय/संकाय के भवनों और उपस्कारों के समुचित अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

(छः) वह संकाय के शासकीय कारोबार के संबंध में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, छात्रों और जनता से संवाद के लिए उत्तरदायी होगा।

(सात) वह संकाय के परामर्शदात्री समिति के परामर्श से संकाय का बजट तैयार करेगा।

(आठ) वह विभागाध्यक्षों, अध्यापकों और वैज्ञानिकों तथा स्वयं से संबंधित कर्मचारियों को छुट्टी स्वीकृत करेगा।

(नौ) वह कुलपति एवं कार्य परिषद द्वारा समनुदेशित किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

ज-संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण-

(एक) वह छात्रों के लिए भोजनालय सुविधा की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(दो) वह एलेमिनाई एसोसिएशन की गतिविधियों के सुगम संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) वह छात्रवृत्ति एवं ऐसे अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करेगा।

(चार) वह छात्रों के रहने की व्यवस्था करेगा।

(पांच) वह अवकाश के समय छात्रों की यात्रा सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

(छः) वह विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम और छात्रों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा पर सामान्य नियंत्रण रखेगा।

(सात) वह छात्र अनुशासन समिति का अध्यक्ष होगा।

(आठ) वह कुलपति या कार्य परिषद द्वारा समनुदेशित किसी कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।

झ- निदेशक, अनुसंधान

(एक) निदेशक, अनुसंधान संबंधित संकाय और महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों के समन्वय में विश्वविद्यालय में समस्त अनुसंधान कार्यों का समन्वय करेगा।

(दो) वह अध्यापकों द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं की तैयारी के लिए

निदेशक
अनुसंधान

उत्तरदायी होगा और वह बाह्य और आन्तरिक अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता करेगा।

(तीन) वह परियोजनाओं के लिए सहायता देने वाली अभिकरणों के लिए अनुसंधान परियोजनाओं के सामयिक प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करेगा।

(चार) वह अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(पांच) वह अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा और वह कुलपति को अनुमोदन के लिए अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के सुझावों को प्रस्तुत करेगा। अनुसंधान परामर्शदात्री समिति का गठन निम्नवत् होगा:—

कुलपति—	(अध्यक्ष)
संकायाध्यक्ष	(सदस्य)
महाविद्यालयों के प्राचार्य	(सदस्य)
निदेशक, प्रसार	(सदस्य)
निदेशक, अनुसंधान	(सचिव)

(छः) समिति विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य की विस्तृत रूपरेखा तैयार करेगी तथा समय-समय पर अनुसंधान की प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

(सात) वह कुलपति एवं कार्यपरिषद द्वारा समनुदेशित किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

(ज) निदेशक, प्रसार:—

निदेशक प्रसार

(एक) निदेशक, प्रसार सम्बद्ध महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों और प्राचार्यों के समन्वय से समस्त प्रसार कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की योजना बनाएगा और उनका निस्तारण करेगा।

(दो) निदेशक, प्रसार विभिन्न संकायों, महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों से पशुपालकों और किसानों तक सूचना पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) प्रसार हेतु कार्यरत विषय विशेषज्ञों को संबंधित संकाय या सम्बद्ध महाविद्यालय के विभागों से सम्बद्ध किया जाएगा।

(चार) निदेशक, प्रसार प्रसार क्रियाकलापों के लिए संकाय या सम्बद्ध महाविद्यालयों के अधिकारी (अधिकारियों) और तकनीकी कर्मचारियों से सहायता ले सकता है।

(पांच) निदेशक, प्रसार कुलपति को उसके अनुमोदन के लिए प्रसार परामर्शदात्री समिति के सुझावों को प्रस्तुत करेगा। समिति का गठन निम्नवत् होगा:—

कुलपति—	(अध्यक्ष)
संकायाध्यक्ष	(सदस्य)
महाविद्यालयों के प्राचार्य	(सदस्य)
निदेशक, अनुसंधान	(सदस्य)
निदेशक, प्रसार	(सचिव)

(छः) समिति राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार क्रियाकलापों के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा।

(सात) निदेशक, प्रसार अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के

आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(आठ) वह कुलपति एवं कार्यपरिषद के अधिकारियों द्वारा समनुदेशित किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

प-विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष

(एक) वह विश्वविद्यालय पुस्तकालय का रख-रखाव करेगा।

(दो) वह सीधे कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(तीन) वह विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वार्षिक बजट तैयार करेगा।

(चार) वह अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(पांच) वह कुलपति एवं कार्यपरिषद द्वारा समनुदेशित किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

**विश्वविद्यालय
पुस्तकालयाध्यक्ष**

फ- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण:-

(एक) वह कुलसचिव से स्नातक छात्रों के समस्त अभिलेख प्राप्त करेगा।

(दो) वह पंजीकृत स्नातकों के लिए पूर्वपेक्षित कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करेगा।

(तीन) वह स्नातकों के आगे की शिक्षा और व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन की व्यवस्था करेगा।

**निदेशक, नियोजन
एवं प्रशिक्षण**

अध्याय-4

विभाग

विभाग शिक्षा और प्रशासन के प्राथमिक इकाई होंगे। ये संकाय/संस्था और सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापन, अनुसंधान और समुचित प्रसार कार्यक्रमों को जारी रखेंगे।

विभागाध्यक्ष:-

1. विभागाध्यक्ष विभाग के कार्य के संगठन के लिए उत्तरदायी होगा।
2. वह विभागीय बजट तैयार करेगा।
3. वह विभाग के अध्यापन, अनुसंधान और प्रसार कार्य के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष या प्राचार्य को रिपोर्ट करेगा।
4. वह विभागीय सम्पत्ति के समुचित देखभाल, अनुरक्षण और अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
5. वह महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा समनुदेशित किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।
6. वह विभाग के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए हकदार होगा।
7. *(क) विभाग में कार्यरत आचार्यों में से विभागाध्यक्ष की नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम में अनुपपुक्त को छोड़ते हुए, संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति द्वारा की जायेगी।

विभागाध्यक्ष

*(ख) विभागाध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि योगदान की तिथि से तीन वर्ष होगी जिसका विस्तार नहीं होगा।

***संशोधन:** कार्य परिषद् बैठक संख्या 07 (20.12.2005), प्रस्ताव संख्या 15

अध्याय-5

अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें

अध्यापकों की
नियुक्ति

1. अध्यापकों की नियुक्ति अधिनियम के अध्याय-7 की धारा 32 (1-3) में उपबंधित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

चयन समिति

2. संकायाध्यक्षों/प्राचार्यों, निदेशकों, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, संकाय के अन्य अधिकारियों और अध्यापकों और महाविद्यालय (महाविद्यालयों) के अध्यापकों के लिए चयन समिति, नीचे यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय-सात की धारा (4 क-घ) के अधीन किये उपबंधों के अनुसार गठित की जायेगी:-

(एक) **कुल सचिव/परीक्षा नियंत्रक**

क- कुलपति

(अध्यक्ष)

ख-सचिव, पशुधन द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य (सदस्य)

(दो) **वित्त अधिकारी**- वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा की जायेगी।

(तीन) **संकायाध्यक्ष/महाविद्यालयों के प्राचार्य**- का चयन, अधिनियम के अध्याय-7 की धारा 32 के अधीन व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(चार) **संस्थान के निदेशक**- का चयन, अधिनियम के अध्याय-7 की धारा 32 के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(पांच) **अध्यापक (आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य)**- का चयन, अधिनियम के अध्याय-7 की धारा 32 के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(छः) **विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी**-

(i) कुलपति या कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य (अध्यक्ष)

(ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ का संकायाध्यक्ष/प्राचार्य (सदस्य)

(सात) **विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी**-

कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष/प्राचार्य

क- कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट (अध्यक्ष)

महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष/ प्राचार्य

ख- कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो आचार्य (सदस्य)

*(आठ) संकायध्यक्ष/प्राचार्य के कार्यकाल की अवधि योगदान की तिथि से तीन वर्ष होगी।

*संशोधन: कार्य परिषद् बैठक संख्या 07 (20.12.2005), प्रस्ताव संख्या 15

3- विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी, जिसकी सेवा अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, का आश्रित (पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री और विधवा पुत्री) श्रेणी तीन या चार के किसी शिक्षणेत्तर पद जिसके लिए वह उपयुक्त हो, और न्यूनतम अर्द्धताओं को पूरा करता हो, पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन बिना

चयन प्रक्रिया के नियुक्त किया जा सकता है:-

- *क. विश्वविद्यालय सेवक की नियुक्ति नियमित रूप से अर्थात् सेवा में भर्ती के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार हो रही हो अथवा
- ख यदि उसकी नियुक्ति तदर्थ रूप से हुई हो तो उसने नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा किया हो अथवा
- ग. वह स्थाई सेवक रहा हो, तथा
- घ. उस विश्वविद्यालय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हुई हो ।
- ड. मृत विश्वविद्यालय सेवक पुरुष रहा हो तो उसकी पत्नी किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य या केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणधीन किसी निगम या विश्वविद्यालय में पहले से सेवायोजित न हो,
- च. यदि मृत कर्मचारी सेवक महिला रही हो तो उसका पति किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य या केन्द्र के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या विश्वविद्यालय में पहले से सेवायोजित न हो,
- छ. मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन के लिए माँग करने के लिए व्यक्ति द्वारा मृत सेवक की मृत्यु के दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर सेवायोजन के लिए आवेदन कर दिया हो।

*संशोधन: कार्य परिषद् बैठक संख्या 10 (03.12.2007), प्रस्ताव संख्या 3

- 7-1 विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के उपबंध के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के मास के प्रथम दिन से वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए हकदार होंगे।
- 2- यदि किसी कर्मचारी की अधिवर्षता का सम्यक दिनांक, मास के अन्तिम दिनांक के सिवाय उस मास के किसी दिनांक को पडता है तो ऐसा कर्मचारी संबंधित मास के अन्तिम दिनांक को विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त होगा।
- 3- सेवांत अवकाश नकदीकरण की प्रसुविधाएं, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के उपबंधों के अनुसार लागू होंगी।
- 4- अधिवर्षिता के पश्चात पेंशन और अन्य सेवानैवृत्तिक, प्रसुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के उपबंध के अनुसार लागू होंगी।
- 8-1 कार्य परिषद को कुलाधिपति की पुष्टि के अध्याधीन विद्या परिषद की सिफारिश पर सम्मानिक उपाधि और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां प्रदान करने की शक्ति होगी।
- 2- सम्मानिक उपाधि प्रदान करने के समस्त प्रस्ताव, कुलपति द्वारा गठित समिति को किये जायेंगे। समिति की सिफारिशें विद्या परिषद के समक्ष रखी जाएंगी। विद्या परिषद की सिफारिश कार्य परिषद को भेजी जाएगी। कार्य परिषद का संकल्प विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को उसके अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। सम्मानिक उपाधि/डिप्लोमा कुलाधिपति के अनुमोदन के पश्चात ही अधिनिर्णीत किया जाएगा।
- 9- विश्वविद्यालय विद्या परिषद की सिफारिश तथा कार्य परिषद के अनुमोदन पर उसके द्वारा प्रदान किये गये किसी डिग्री या डिप्लोमा को किसी व्यक्ति से निम्न आधार पर वापस लेगा:-

- (क) किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि जो विद्या परिषद या कार्य परिषद की राय में गम्भीर अपराध है जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो।
- (ख) विश्वविद्यालय देयों के संदाय में व्यतिक्रम।
- 10— कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अनुमोदित विनियमों का अनुसरण किया जाएगा।
- 11— विश्वविद्यालय, विद्या परिषद द्वारा निर्धारित और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित शर्तों पर निम्नलिखित उपाधि और डिप्लोमा प्रदान करेगा:—
- (क) विद्या परिषद की सिफारिश और कार्य परिषद के अनुमोदन पर पशुचिकित्सा संकाय में पूर्व स्नातक (पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन) और स्नातकोत्तर उपाधि (पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन एवं पी.एचडी.) और अन्य संकायों में पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियाँ।
- (ख) विद्या परिषद की सिफारिश और कार्य परिषद के अनुमोदन पर डिप्लोमा प्रदान किये जायेंगे।
- 12—(क) छात्रों का प्रवेश, शैक्षिक विनियम-2004 या विद्या परिषद द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित विनियम के आधार पर किया जाएगा।
- (ख) छात्रों का पंजीयन प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किया जाएगा। कुलसचिव विश्वविद्यालय शुल्क जमा किये जाने और पंजीयन किये जाने के पश्चात ही नामांकन करेगा।
- (ग) छात्रों का नामांकन विद्या परिषद द्वारा स्थापित विनियमों के आधार पर होता रहेगा।
- (घ) विश्वविद्यालय निम्नलिखित के लिए एक या उससे अधिक परीक्षाएं संचालित करेगा:—
- प्रवेश परीक्षा, अर्हता परीक्षा, मध्यकालिक परीक्षा, अन्तिम परीक्षा, पूर्व अन्तिम परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, घोषित और अघोषित परीक्षा, लघु प्रश्न परीक्षा, प्रेक्टिकल परीक्षा, मौखिक परीक्षा, विद्या परिषद द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार की परीक्षा।
- (ङ) प्रत्येक पाठ्यक्रम में परीक्षाओं के अंक, विद्या परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अन्तिम परीक्षा के परिणाम में जोड़े जायेंगे। प्रश्नपत्रों को बनाने और उनके मूल्यांकन के लिए केवल संबंधित विषयों के परीक्षक प्राधिकृत हैं।
- (च) प्रश्नपत्रों के उत्तर विश्वविद्यालय द्वारा विहित माध्यम में दिये जाएंगे।
- (छ) किसी अध्ययन/पाठ्यक्रम या कार्यक्रम, प्रवेश परीक्षा, उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टियों के लिए फीस संरचना, विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा नियत किया जायेगा।
- 13— अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ पदक और पारितोषिक विद्या परिषद द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित विनियमों के अनुसार प्रदान किये जाएंगे।
- 14— परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकायों के कर्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन विद्या

परिषद द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित विनियमों के अनुसार होगा।

अध्याय-6

अधिनियम की धारा 39

1- कुलपति की सेवा की परिलब्धियाँ और निबंधन एवं शर्तें:-

(एक) कुलपति की नियुक्ति अधिनियम द्वारा निर्धारित रीति से की जाएगी, वह निःशुल्क सुसज्जित आवास के लिए हकदार होगा। कुलपति आवास व उससे संलग्न भूमि का रखरखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(दो) कुलपति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वेतनमान प्राप्त करेगा और प्रभार, यदि कोई हो, समय-समय पर विश्वविद्यालय में सीधे और स्वतः लागू होंगे।

(तीन) कुलपति विश्वविद्यालय भविष्य निधि की प्रसुविधाओं के लिए हकदार नहीं होगा।

(चार) कुलपति, सक्रिय सेवा में व्यतीत की गयी अवधि के 1/11 भाग तक के लिए पूर्ण वेतन पर उपार्जित अवकाश का हकदार होगा।

ऊपर वर्णित अवकाश के अतिरिक्त कुलपति को बीमारी अथवा अपने व्यक्तिगत कार्यों के मामले में अपने तीन वर्ष के सेवाकाल में अनधिक 3 मास की अवधि तक बिना वेतन का अवकाश अर्जित करने के लिए हकदार होगा परन्तु बिना वेतन के लिये गये अवकाश के उस सीमा तक पूर्ण अवकाश में अन्ततः अन्तरित किया जा सकता है जिस सीमा तक अवकाश देय हो गया हो।

(पांच) कुलपति मुख्य परिसर के बाहर से (लेकिन भारत में) कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है और इसके लिए कोई लिखित अनुमति अपेक्षित नहीं है।

(छः) कुलपति को किसी लिखित अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं होगी।

(सात) कुलपति को, यदि अपने मूल विभाग/संगठन से प्रतिनियुक्ति पर कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अवमुक्त किया जाता है तो विश्वविद्यालय मूल विभाग/संगठन को पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं और वेतन अंशदान का भुगतान करेगा।

2- विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की संख्या, अर्हताएं और परिलब्धियां।

(क) प्रत्येक विभाग में अध्यापकों की संख्या और उनकी अर्हता की सिफारिश विद्या परिषद द्वारा की जाएगी और अनुमोदन कार्य परिषद द्वारा किया जाएगा।

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य वेतनभागी कर्मचारियों की संख्या और उनकी अर्हताएं कुलपति द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित होगी।

(ग) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की परिलब्धियां ऐसी होगी जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाए। अन्य भत्ते और वित्तीय प्रसुविधाएं उत्तर प्रदेश

सरकार के शासनादेश के अनुसार होगी।

(ध) विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की परिलब्धियां वही होंगी जो कुलपति द्वारा संस्तुत की जाएं और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित की जाएं, अन्य भत्ते और वित्तीय प्रसुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार होंगी।

(ड) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित मामलों में कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(च) यथास्थिति कार्य परिषद या कुलपति को न्यूनतम वेतनमान से अधिक वेतनमान वर्द्धित वेतनवृद्धि, भत्ता आदि, जैसा वे उचित समझे, को अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(छ) कार्य परिषद को विशेष मामलों में अन्य उपबंधों द्वारा अनाच्छादित कोई पद सृजित करने की शक्ति होगी।

(ज) कुलपति को विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को मजदूर अतिकालिक प्रभारों और अन्य परिलब्धियों (व्यावसायिक समनुदेश आदि के लिए वाहन प्रभारों, मानदेय, पारिश्रमिक सहित) के सदस्य को अनुमोदित करने की शक्ति भी होगी।

(झ) कुलपति को निम्नलिखित को अनुमोदित करने की शक्ति होगी:—

(एक) सामान्य कर्तव्यों के अधीन अनाच्छादित कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय के बाहरी व्यक्तियों और नियमित कर्मचारी वर्ग के लिए विभिन्न पारिश्रमिक दर।

(दो) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की मजदूरी/परन्तु इस प्रकार नियत की गयी मजदूरी राज्य सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अवधारित किसी प्राधिकारी द्वारा समान श्रेणी के लिए नियत मजदूरी से अधिक नहीं होगी।

(तीन) प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा संचालन से संबंधित विभिन्न कार्यों के पारिश्रमिक का भुगतान समय-समय पर कुलपति द्वारा प्रस्तावित और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाएगा।

3— सेवा शर्तें, नियुक्ति, निलम्बन तथा निष्कासन:—

(क) प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवकों के मामलों के अलावा विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों से विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यभार ग्रहण करते समय कोई लिखित संविदा करने की अपेक्षा की जाएगी।

(1) अधिनियम की धारा 51 (ग) में किये गये उपबंध के अनुसार पूर्व विश्वविद्यालय के प्रत्येक पूर्णकालिक अध्यापकों/कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय को उन निबंधन और शर्तों पर अन्तरित होंगी जैसा कि वे ऐसे अन्तरण के ठीक पूर्व थी।

(2) उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के सृजन से पहले पूर्व विश्वविद्यालय से अधिवर्षिता प्राप्त प्रत्येक अध्यापकों/कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन संबंधी प्रसुविधा तथा अन्य वित्तीय

प्रसुविधाओं का भुगतान उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा द्वारा किया जाएगा।*

* अधिसूचना 23 मई 2006 पशुधन अनुभाग -2 संख्या 2000सैतीस-2-2006-3(11)2004 दिनांक 17 मई 2006

(ख) किसी स्थाई पद के विरुद्ध परीक्षा पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति की विश्वविद्यालय द्वारा विहित रीति से चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और पुलिस उसकी पूर्व वृत्तिअ्यों को सत्यापित करेगी।

(ग) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, किसी स्थाई पद पर प्रथम नियुक्ति पर परीक्षा पर रहेगा।

(घ) परीक्षा अवधि सामान्यतः दो वर्ष की होगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी इसे बढ़ा सकता है, यदि संबंधित अधिकारी, अध्यापक या कर्मचारी का कार्य और आचरण असन्तोषजनक पाया जाता है।

(ङ) परीक्षा अवधि समाप्त होने पर कर्मचारी का स्थायीकरण किया जा सकता है बशर्ते कि उसका कार्य और आचरण संन्तोषजनक पाया जाय। यदि उसका स्थायीकरण न हो तो उसकी सेवाएं परीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त हुई समझी जाएगी।

(च) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या बाहर किसी समकक्ष पद पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय स्थानान्तरित कर सकता है।

(छ) सामान्यतः विश्वविद्यालय के अधिकारी अध्यापक और कर्मचारी इस संवर्ग के प्रारम्भिक मूल वेतन के हकदार होंगे तथापि चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ता उच्चतम वेतन अनुमोदित कर सकता है।

(ज) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, अध्यापक या कर्मचारी से प्राप्त की जाएगी।

(झ) यदि विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारी/अध्यापक की अधिवर्षिता संबंधित माह के मध्य किसी दिनांक को पडती है तो ऐसा कर्मचारी संबंधित माह के अन्तिम दिवस को सेवानिवृत्त होगा। वेतनवृद्धि संबंधित माह के प्रथम दिवस को अनुज्ञात किया जाएगा।

(ट) यदि अधिनियम या परिनियमावली में अन्यथा उपबंधित न हो तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों या कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा से निष्कासन या वेतन किसी अन्य प्रकार का दण्ड, जिसमें वेतनवृद्धि रोकने का प्राधिकार सम्मिलित है, नियुक्ति प्राधिकारी पर निर्भर होगा।

(ठ) तथापि कुलपति इस संबंध में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा:-

(एक) ऐसी जांच करना जैसा कि वह विश्वविद्यालय के किन्ही अधिकारियों, अध्यापकों या कर्मचारियों की ओर से अनियमितताओं या दुराचरण के आरोपों सहित तथ्य अभिनिश्चित करने और डाटा संगृहित करने के लिए आवश्यक समझे।

(दो) विश्वविद्यालय के किन्ही अधिकारियों, अध्यापकों या कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगना।

(तीन) किन्ही अधिकारियों, अध्यापकों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ करना और संचालित करना।

(चार) लघु दंड देना तथा चरित्र पंजिका में प्रविष्टि या अनधिक तीन वर्ष तक वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकना।

(पांच) यदि दण्ड का आदेश कुलपति द्वारा हो तो प्रभावित व्यक्ति को आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर कार्य परिषद को अपील करने का अधिकार होगा।

(छः) तथापि जहां अभिकथन या आरोप गम्भीर प्रकृति के हों तो कुलपति विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को उसके विरुद्ध जांच जारी रहने या उसके लम्बित रहने के दौरान निलम्बित कर सकता है।

4— विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या कर्मचारी की सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केवल निम्न आधारों पर समाप्त की जा सकती हैं:—

(एक) संबंधित प्राधिकारी के आदेशों के अवहेलना सहित अवचार।

(दो) किसी कृत्य का किया जाना, जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी की राय में नैतिक अधमता सम्मिलित है।

(तीन) विश्वविद्यालय की निधियां एवं सम्पत्ति का दुरुपयोग।

(चार) भ्रष्टाचार।

(पांच) शारीरिक असमर्थता, चित्त विकृति।

(छः) पद समापन।

5— प्रत्येक कर्मचारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अभिप्रेत हो, को विश्वविद्यालय के प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रत्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

6— जब किसी कर्मचारी, जो निलम्बित हो, को अन्ततः पुनः स्थापित किया जाता है तो वह तब तक पूर्ण वेतन पायेगा जब तक संबंधित प्राधिकारी द्वारा दण्ड स्वरूप निलम्बन अवधि के लिए की जाने वाली कटौती का आदेश न दिया गया हो।

7— निलम्बित व्यक्ति निलम्बन अवधि में किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए हकदार नहीं होगा।

8— वेतनवृद्धि सामान्यतः आहरित होती रहेंगी बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा वेतनवृद्धि रोकने का आदेश न दिया गया हो।

9— जहाँ कोई दक्षता रोके समयमान वेतनमान में विहित किया गया हो वहाँ दक्षता रोक के ऊपर की वेतनवृद्धि संबंधित प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी।

10— अधिकारी, अध्यापक या कर्मचारी अपना सम्पूर्ण समय विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्पित करेंगे और किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगायेंगे या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना राजनीति में सक्रिय रूप में भाग नहीं लेंगे।

11— कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के बाहर की सेवा के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन कर सकता है:—

(एक) कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को विश्वविद्यालय के बाहर सीधे किसी सेवा के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा नहीं होगी। ऐसे आवेदन अग्रिम पारेषण के लिए उचित माध्यम से कुलपति को प्रस्तुत किये जायेगे।

(दो) ऐसे सभी आवेदन कुलपति कार्यालय में समय से पहुँच जाने चाहिए।

12— सेवा अभिलेख (चरित्रपंजी)

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के सेवा और क्रियाकलापों के अभिलेख कुलपति द्वारा विहित रीति से कुलपति कार्यालय में अनुरक्षित किये जायेगे। सेवा अभिलेख या चरित्रपंजी में प्रविष्ट प्रतिकूल अभ्युक्तियों की संसूचना कर्मचारी को लिखित रूप में दी जायेगी।

13— पदोन्नतियाँ:—

(एक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति, ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर वरिष्ठ चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पदों पर की जा सकती है बशर्ते कि वे सरकारी विनियमों के अनुसार न्यूनतम अपेक्षाओं को पूर्ण करते हो।

(दो) कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक से प्रधान लिपिक, प्रधान लिपिक से प्रधान सहायक, प्रधान सहायक से सहायक लेखा अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी बशर्ते कि व्यक्तियों के पास उक्त पद के लिए अपेक्षित और विहित अर्हता हो।

(तीन) प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति सरकार द्वारा वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद सृजन के शर्त के अध्याधीन वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर प्रयोगशाला तकनीकी के पद पर की जा सकती है बशर्ते कि व्यक्तियों के पास उक्त पद के लिए अपेक्षित और विहित अर्हता हो।

(चार) विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नतियाँ, सरकारी आदेशों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(पांच) अध्यापकों की पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये व कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय—7

धारा 39 (ट)

16— विश्वविद्यालय में निम्न संकाय होंगे—

संकाय

(एक) पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन

(दो) अन्य कोई संकाय, जो कार्य परिषद से अनुमोदित हो।

विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए नियम

1. Ordinarily one or more Convocations for conferring degrees shall be held each year at any Campus of the University Head Quarters of the Vishwa Vidyalaya on such date and at

दीक्षांत समारोह

such time as the Chancellor may appoint.

2. Not less than four week's notice shall be given by the Registrar of all meetings of the Convocation by notification in the news papers.
3. The candidate desiring to take the degree in person shall apply to the Registrar on the prescribed form obtainable from the office of the Vishwa Vidyalaya. The applications must reach the Registrar ten days before the date fixed for the Convocation accompanied by a fee of Rs. 50/-
4. The Vishwa Vidyalaya will supply uttariya to the candidates receiving degrees in person on payment of Rs.25/-. This uttariya fee of Rs. 25/- will in no case be refunded or adjusted towards fee for obtaining degrees in absentia.
5. The candidates who do not present themselves in person at the Convocation will be treated as receiving degrees in absentia. Such candidates shall apply to the Registrar in the prescribed application form and the fee for obtaining the degree in absentia will be Rs.300/- for all such students.
6. Candidates must appear in the prescribed academic dress at the time of convocation.
7. A rehearsal shall be arranged a day before or on the day of Convocation as required at which candidates for Degree must be present. Candidates absentee from rehearsal will not be allowed to participate in Convocation.
8. The Registrar shall issue a notice to each recipient of a Degree intimating the convocation programme and the procedure to be observed.
9. The academic robe for the convocation shall be as follows:
 - (I) Black gown and black hood with appropriate uttariya for non-Ph.D.'s.
 - (II) Red gown with red hood with appropriate uttariya for Ph.D.'s .

Member of Procession: Maroon colour with golden embroidery in the uttariya of the chief guest, the Chancellor and the Vice-Chancellor; silver embroidery of others.

Faculties: Blue uttariya for Veterinary Faculty. Uttariya for graduates will have yellow ribbons, those of post-graduates will have saffron ribbons and those of Ph.D.'s will have red ribbons.

University seal will be printed or embroidered on both ends of the uttariya at about ½ metre above each end.

“CONVOCATION PROCEDURE”

1. The Chancellor, the Chief Guest, Vice-Chancellor, and

Members of the Executive council and Members of the Academic Council shall assemble in the place notified for the purpose at the appointed hour and shall walk in procession in prescribed academic robe in rows of two in the following order to the Convocation hall. The procession will be led by the Registrar.

REGISTRAR

MEMBERS OF ACADEMIC COUNCIL, HEADS OF DEPARTMENTS

DEANS OF FACULTIES

MEMBERS, EXECUTIVE COUNCIL

VICE-CHANCELLOR

AND

A.D.C

A.D.C

CHANCELLOR

CHIEF GUEST

SECRETARY TO CHANCELLOR

2. The Chancellor, the Chief Guest, the Vice-Chancellor and the Registrar shall be seated in the front row on the dias and the Members of the Executive council and Academic Council will be seated in the next row. The recipients of degrees honoris causa will be seated in the front row by the sides of the dias.
3. On the procession entering the hall, the assembly shall rise and remain standing till members of the procession have taken their seats on the dias.
4. The proceedings of the Convocation will commence the singing of Bande-Matram to be followed by University song. Then the Chancellor will declare the Convocation open and in his absence, the Vice-Chancellor will do so. The Vice-Chancellor will say, Mr. Chancellor, I request you to declare the Convocation of U.P Pt. Deen Dayal Upadhaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwa Vidhyalaya Evem Anusandhan Sansthan open.” The Chancellor will say, “I declare the..... Convocation of U.P Pt. Deen Dayal Upadhaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwa Vidhyalaya Evem Anusandhan Sansthan open.”
5. The Vice-Chancellor shall read out his report.
6. After the report of the Vice-Chancellor is over there will be the exhortations as mentioned below by him:

कुलपति:	मैं दीक्षा देता हूँ सत्य बोलो, कर्तव्य—पालन करो, अध्ययनशील रहो।
स्नातकगण: कुलपति	मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, उदार बनो।
स्नातकगण: कुलपति	मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। देश को बलवान बनाओ, देश को सुखी बनाओ, देश को गौरवपूर्ण बनाओ।
स्नातकगण: कुलपति	मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। पशुधन के विकास के लिए नए—नए अनुसंधान करो, नए ज्ञान का अध्ययन करो अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करो।
स्नातकगण: कुलपति	मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। सत्य से विचलित न होना। कर्तव्य से विचलित न होना। उत्थान—कार्य से विचलित न होना। कल्याण—कार्य से विचलित न होना।
स्नातकगण: कुलपति	मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो।

7. The Honorary Degrees, if any, shall then be presented.
8. This Registrar, will then request the Deans of the Faculties to present students for the award of degrees provided that degrees to Ph.D. scholars shall be awarded individually. The Deans shall present their students in the following order.

Ph.D
M.V.Sc.
B.V.Sc.& A.H.

All the presentees will stand when the Dean present them to the Chancellor/Vice-Chancellor for the degrees and will remain standing till they are admitted to the Degrees.

9. Deans will say:
“Mr. Chancellor/Vice-Chancellor, I present to you

Shri...../..... Candidates who has/have been examined and found qualified for the degrees of.....to which I pay he/they may be admitted.

The Chancellor/Vice-Chancellor will say:

“By virtue of the powers vested in me as Chancellor/Vice-Chancellor of U.P Pt. Deen Dayal Upadhaya, Pashu Chikitsa Vigyan Vishwa Vidhyalaya Evam Anusandhan Sansthan, I admit you/one and all, to Degree and I charge you that ever in your life and activities you prove yourselves worthy of the same.

10. After the distribution of Degree is over, the Registrar shall call the recipients of merit Medals and prizes. They shall stand before the Chancellor/Vice-Chancellor who shall present the medals.
11. The Chancellor/Vice-Chancellor will introduce the Chief Guest and request him to deliver the Convocation address.
12. The Chief Guest will then deliver the Convocation address.
13. The Chancellor/Vice-Chancellor will then declare the convocation closed.
14. Singing of National Anthem.
15. The procession will leave the Convocation hall in the following order and the assembly will stand.

SECRETARY TO CHANCELLOR

A.D.C
CHANCELLOR

A.D.C
CHIEF GUEST

VICE-CHANCELLOR
MEMBERS, EXECUTIVE COUNCIL
DEANS OF FACULTIES

MEMBERS OF ACADEMIC COUNCIL, HEAD OF DEPARTMENTS
REGISTRAR

*संशोधन: कार्य परिषद् बैठक संख्या 13 (12.12.2008), प्रस्ताव संख्या 05

अध्याय—8

अवकाशों के नियम

परिनियम उन सरकारी सेवकों जो विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं के सिवाय, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(क) अवकाश का अधिकार— अवकाश का दावा, अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। सेवा अत्यावश्यक होने पर माँगे गये किसी प्रकार

अवकाशों के
नियम

के अवकाश को अस्वीकृत किया जा सकता है या कर्मचारी को स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा अवकाश से अनिवार्य रूप में वापस बुलाया जा सकता है।

(ख) **उपार्जित अवकाश**— ड्यूटी पर व्यतीत की गयी अवधि द्वारा अवकाश को उपार्जित किया जा सकता है।

(ग) **अवकाश का प्रारम्भ एवं उसकी समाप्ति**— सामान्यतया अवकाश उस दिनांक से प्रारंभ होता है जबसे उसका वास्तविक उपभोग किया जाता है तथा उस दिनांक को समाप्त हो जाता है जिस दिनांक को ड्यूटी ग्रहण की जाय या यदि ड्यूटी अपरान्ह में छोड़ी जाय या ग्रहण की जाय को अवकाश अगले दिन कमशः प्रारम्भ या समाप्त होगा। स्वीकर्ता प्राधिकारी की अनुज्ञा से रविवार या अन्य अवकाश दिवस या विश्वविद्यालय अवकाश के उक्त अवकाश में पूर्व नियत या पश्चात नियत किया जा सकता है।

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अध्यापकों को आकस्मिक अवकाश के सिवाय सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति कुलपति में निहित होगी और अन्य कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष के पास निहित होगी। कुलपति द्वारा यथा प्रदत्त सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अध्यक्षीन संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष सहायक आचार्य की श्रेणी तक के कर्मचारियों को 30 दिन तक का उपार्जित अवकाश भी स्वीकृत कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष/प्राचार्य, निदेशकों और अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश कुलपति द्वारा स्वीकृत किया जाएंगे और अध्यापकों सहित अन्य सदस्यों को अवकाश संकायाध्यक्ष/प्राचार्य, निदेशकों और संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

(ङ) **निम्नलिखित प्रकार का अवकाश अनुमन्य होगा:—**

- 1— आकस्मिक अवकाश
- 2— उपार्जित अवकाश
- 3— अर्द्ध वेतन पर अवकाश
- 4— असाधारण अवकाश
- 5— प्रसूति अवकाश
- 6— चिकित्सा अवकाश
- 7— अध्ययन अवकाश*

1— आकस्मिक अवकाश— विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 14 दिन के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा। यह अवकाश अगले वर्ष के लिए अग्रभीत नहीं किया जा सकता है।

2— उपार्जित अवकाश— विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी समय-समय पर यथा संशोधित शासनादेश के उपबंध के अनुसार पूर्ण वेतन पर उपार्जित अवकाश के लिए हकदार होगा। परन्तु यह और कि जब कुल उपार्जित अवकाश तीन सौ दिन तक एकत्रित हो जाय तो कर्मचारी ऐसा उपार्जित नहीं करेगा।

3— अर्द्ध वेतन पर अवकाश— विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी आदेश के उपबंधों के अनुसार अर्द्ध वेतन पर अवकाश के लिए हकदार होंगे।

4— असाधारण अवकाश— वास्तविक आवश्यकता की स्थिति में और जब कोई अन्य अवकाश देय न हो तो अवकाश स्वीकृत करते समय विनिर्दिष्ट किये जाने वाले शर्तों के अधीन बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

5— प्रसूति अवकाश— विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन बच्चे के प्रसव के समय 90 दिन के प्रसूति अवकाश के लिए हकदार होगी। यह अन्य समस्त उपलब्ध अवकाश के अतिरिक्त होगा।

6—स्थायी कर्मचारी के लिए चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर अवकाश— विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी को उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के अनधिक 12 माह का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(क) उपार्जित अवकाश सहित चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर अवकाश, यदि कोई हो, एक बार में आठ माह से अधिक नहीं होगा। ऐसा अवकाश, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा जैसा कि कुलपति इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा संस्तुत अवधि तक के लिए विनिर्दिष्ट करें। चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्थाई कर्मचारियों को इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि इस परिनियम के अधीन कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का समाधान न हो जाय कि इस बात की युक्तियुक्त आधार विद्यमान है कि विश्वविद्यालय कर्मचारी आवेदित अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस आने के लिए उपयुक्त हो।

(ख) अस्थायी कर्मचारी के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश— विश्वविद्यालय के अस्थायी कर्मचारी को उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि में अनधिक चार माह का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है परन्तु उपार्जित अवकाश यदि कोई हो, सहित चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश आठ माह से अधिक नहीं होगा। ऐसा अवकाश, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी जैसाकि कुलपति सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा संस्तुत अवधि से अनधिक अवधि तक के लिए स्वीकृत किया जाएगा।

अस्थायी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:—

1—जिस पद से विश्वविद्यालय कर्मचारी अवकाश पर जाता है, ड्यूटी पर वापस आने तक उस पद के बने रहने की सम्भावना की जाती है।

2— इस परिनियम के अधीन कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस बात की युक्तियुक्त सम्भावना है कि विश्वविद्यालय कर्मचारी आवेदित अवकाश

की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस आने के लिए स्वस्थ होगा।

7- अध्ययन अवकाश

PhD अध्ययन अवकाश के लिए नियमावली

शिक्षक के उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश का लाभ उठाने के लिए पात्रता

एक सहायक प्रोफेसर को अपने कार्य के क्षेत्र में आधुनिक विकास के साथ समानता रखने एवं विश्व विद्यालय के लिए उसके योग्यता और उपयोगिता में सुधार लाने और अपने कैरियर की संभावनाओं का उन्नयन हेतु 3 वर्ष की एक न्यूनतम निरंतर और संतोषजनक सेवा के बाद PhD करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। उसे विश्व विद्यालय के भीतर या विश्व विद्यालय के बहार पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ अवकाश प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, वे अभ्यर्थी जो बिना वेतन के अध्ययन अवकाश का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए निरंतर सेवा के केवल न्यूनतम दो वर्ष की अवधि आवश्यक होगा। हालांकि, परीक्षा अवधि की निकासी अध्ययन अवकाश की मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा।

अध्ययन अवकाश की अवधि: -

अध्ययन अवकाश की अवधि इस प्रकार होगा: -

PhD within the institution	3 semesters (18 months) for including comprehensive exam
PhD from outside the institution	Grant of study leave for 36 mo

Note:

1. जो विश्वविद्यालय के भीतर पीएचडी की पढ़ाई करता है उसको comprehensive examination के बाद University Join कर अनुसंधान कार्य जारी रखना होगा जो की 09 credit प्रति semester से अधिक नहीं होगा।
2. वे जो विश्वविद्यालय के बाहर PhD करने गए हैं यदि उन्हें अध्ययन अवकाश अवधि समाप्त होने पर PhD पूरा करने के लिए और अवकाश की आवश्यकता होती है तो वे अपना PhD वैसे अवकाश जिसके लिए वे eligible हैं या अवेतन छुट्टी ले के जारी रख सकते हैं। अधिकतम अवकाश अवधि 5 साल का होगा। यदि पदधारी PhD पांच साल के भीतर पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे University Join कर पूरा वेतन जो वह अवकाश अवधि में प्राप्त किया वापस करना होगा।
3. कोई भी शिक्षक अध्ययन अवकाश को अधिकार स्वरूप प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अध्ययन अवकाश संबंधित विभाग के शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार और अन्य विभागीय जिम्मेदारियों और अध्ययन अवकाश की मंजूरी के प्रभाव, पर्याप्त और उचित कर्मियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मंजूर किया जाएगा। यह एक शिक्षक प्रति विभाग या विभाग के शिक्षण कर्मचारियों की संख्या का 25% की अधिकतम के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा और विभाग से अगला पदधारी पहले गए हुए शिक्षक के विभाग में वापस आने के बाद ही अध्ययन लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा या पहले गए हुए शिक्षक को 3 - 6 माह के अन्दर वापस आने की सम्भावना है।
4. कोई भी कर्मचारी उच्च योग्यता हासिल के एवज में उसकी किसी भी परिवर्तन जैसे स्थिति, वरिष्ठता, वेतनमान या सेवा का एक अन्य शर्त का दावा नहीं करेगा।

- हालांकि, यह उन उपार्जित लाभों पर लागू नहीं होगा जो यदि शिक्षक को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण नहीं जाने पर भी प्राप्त होता।
5. (a) पदधारी जिन्हें अध्ययन अवकाश स्वीकृत होता है उसे अध्ययन अवकाश पर जाने से पहले PhD पूरा कर के आने के पश्चात् विश्वविद्यालय में अध्ययन अवकाश का दुगुना और एक साल का सेवा करने का bond भरना होगा। हालांकि, जो बिना वेतन के अध्ययन अवकाश पर जाते हैं उन्हें कम से कम एक साल और जितने अवधि का अवैतनिक अध्ययन अवकाश का लाभ लिया उतने अवधि विश्व विद्यालय में सेवा करने का bond भरना होगा।
 (b) वे शिक्षक जो विश्वविद्यालय में PhD उपाधि प्राप्त करने के लिए पंजीकृत हैं, उन्हें अपने Course Work के समय PG छात्र Guide करने की अनुमति नहीं होगी।
 (c) यदि किसी मामले में पदधारी अध्ययन अवकाश के पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय में उतने अवधि जो की Bond के अनुसार आवश्यक है की सेवा करने में विफल रहता है, तो उसे मामले के अनुसार, पुरे अवधि या उतने अवधि जो की Bond पूरा होने के लिए बाकि है के वेतन और भत्तों का भुगतान करना परेगा।
 6. पूर्वोक्त Bond भरने के आलावा शिक्षक को कोई दो surety या किसी बिमा कम्पनी का फिडेलिटी Bond या अनुसूचित बैंक का गारंटी उपलब्ध करना होगा। वह surety विश्व विद्यालय को स्वीकार्य होना चाहिए। वहां जहाँ नियमित कर्मचारी दो surety उपलब्ध करा दे वहां विश्व विद्यालय अतिरिक्त fidelity या बैंक गारंटी छोर सकता है। Surety धारा अध्ययन अवकाश Bond का हिस्सा होगा और यदि सम्बंधित शिक्षक Bond के दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है तो वन व्यक्ति जो Surety दिया है विश्व विद्यालय को वसूली योग्य धन राशी भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।
 7. (a) सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि, बकाया और अन्य परिलब्धियां अध्ययन की पूरी अवधि के लिए दिया जाना जारी रहेगा जो की पदधारी को अध्ययन अवकाश पर नहीं जाने पर प्राप्त होता, आगे, जो ICAR, CSIR, DBT आदि के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से फेलोशिप के साथ PhD में दाखिला प्राप्त करता है उसे fellowship राशी के अतिरिक्त पूरा वेतन दिया जायेगा, यदि फेलोशिप के लिए आवेदन विश्वविद्यालय के माध्यम से किया है।
 (b) कोई भी In -service शिक्षक किसी अन्य भत्ता जैसे यात्रा भत्ता और मासिक भत्ता इत्यादि का हकदार नहीं होगा।
 8. संबंधित शिक्षक को जिस दिनांक से अध्ययन अवकाश पर जाना चाहता है उसके कम से कम 3 महीने पहले उचित माध्यम के द्वारा कुलसचिव को अध्ययन अवकाश प्राप्त करने के लिए विवरण के साथ आवेदन करेगा।
 9. पेंशन / अंशदायी भविष्य निधि के लिए अध्ययन अवकाश की अवधि के लिए सेवा के रूप में गिनती की जाएगी, बशर्ते शिक्षक अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण कर लेता है। हालांकि पदोन्नति / CAS या Direct recruitment के लिए अध्ययन अवकाश अवधि की गिनती नहीं किया जाएगा।
 10. यदि शिक्षक चालू शैक्षणिक सत्र में प्रदान की गयी अध्ययन अवकाश का लाभ नहीं उठा पाता है तो वह रद्द समझा जाएगा बशर्ते जहाँ प्रदान की गयी अध्ययन अवकाश

इसलिए रद्द किया गया है, शिक्षक एक वर्ष के अंतराल के बाद फिर से इस तरह की छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है।

11. प्रति 6 माह शिक्षक को अपने supervisor या Head of Institution से अपने अध्ययन की प्रगति report अधिष्ठाता, संकाय को जमा करना चाहिए. यह report अधिष्ठाता तक अध्ययन अवकाश के प्रति 6 माह समाप्त होने के एक माह के अन्दर पहुंचना चाहिए। यदि रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर अधिष्ठाता तक नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति तक वेतन का भुगतान आस्थगित किया जा सकता है। मामले में यदि ऐसी रिपोर्ट असंतोषजनक है तो अध्ययन अवकाश रद्द किया जा सकता है और पदधारी को तुरंत योगदान कर अध्ययन अवकाश अवधि में खर्च वास्तविक राशि वेतन एवं भत्ता जमा करना होगा।
12. अध्ययन अवकाश विभागाध्यक्ष और संबंधित संकाय के अधिष्ठाता के सिफारिशों पर कुलपति द्वारा प्रदान किया जाएगा।
13. कुलपति के अनुमोदन के बिना किसी भी शिक्षक को जिसे अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है अध्ययन के पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. अध्ययन अवकाश का लाभ उठाने के लिए, एक शिक्षक को अपनी अपने प्रस्तावित अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद न्यूनतम 10 वर्ष का सेवा बचे होने चाहिए।

Post - Doctoral Programme अध्ययन अवकाश के लिए नियमावली

1. यदि कोई शिक्षक भारत या विदेश में Post -doctorate करने के इच्छुक है तो उसे भी पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ दो वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए अध्ययन अवकाश के अवसर प्रदान किया जा सकता है।
2. पोस्ट - डॉक्टरल कार्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश की अनुमति पांच साल की नियमित सेवा के बाद ही दिया जा सकता है और उम्मीदवार के CR में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं होना चाहिए।
3. ऐसे शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की अवधि से दुगुना एवं एक वर्ष अधिक अवधि की सेवा करने के लिए एक बांड प्रस्तुत करना होगा।
4. उन शिक्षकों को, जो पहले से ही PhD अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश का लाभ उठाया है उन्हें भी पोस्ट डॉक्टरेट अध्ययन अवकाश के अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है केवल तब जब न्यूनतम निष्क्रिय समयावधि 5 साल या बांड की अवधि से अधिक 2 वर्ष के पूरा हो गया हो, किसी भी हालत में, पोस्ट डॉक्टरेट अध्ययन अवकाश की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. PhD अध्ययन अवकाश के लिए उल्लिखित अन्य नियम Post - Doctorate अध्ययन अवकाश के लिए भी लागू होगा।

*संशोधन: कार्य परिषद् बैठक संख्या 19 (07.10.2011), प्रस्ताव संख्या 03

अध्याय-9

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति

- 1-विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों को अनधिक अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक के लिए विश्वविद्यालय के बाहर प्रतिनियुक्ति पर

सेवा करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। ये कर्मचारी पेन्शन अभिदान और अवकाश वेतन के लिए कर्मचारियों द्वारा किये गये अभिदान के अनुसार हकदार होंगे।

- 2— नियुक्ति प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात प्रतिनियुक्ति की अनुज्ञा होगी।
- 3— अन्य सरकारी संस्था के कर्मचारी और अध्यापक भी, अपने पैतृक विभाग/संस्था की समुचित अनुमति से अपने पैतृक संस्थाओं या विभागों से पेन्शन, अभिदान या अवकाश वेतन अभिदान के उपर्युक्त प्राविधानों के लिए हकदार होंगे।
- 4— कार्य परिषद, विशेष मामलों में, अपने शैक्षिक कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को विदेश या भारत में किसी स्थान पर विशेष अध्ययन या अनुसंधान के लिए ऐसे निबंधन और शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, पर भेजने का विनिश्चय कर सकती है।

अध्याय—10

सेवानिवृत्ति की आयु

*विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष होगी। सेवानिवृत्ति की इस आयु में समय—समय पर शासनादेश के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा।

सेवानिवृत्ति
की आयु

(एक) परन्तु यह किसी अध्यापक की अधिवर्षता का दिनांक 30 जून के बाद पड़ता है तो वह अध्यापक शैक्षणिक सत्र अर्थात् आगामी 30 जून की समाप्ति तक सेवा में बना रहेगा और उसे अधिवर्षता के दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनः रोजगार में माना जाएगा।

(दो) परन्तु यह और कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की अधिवर्षता को दिनांक, माह के अन्तिम दिनांक से भिन्न माह के किसी दिनांक को पड़ता है तो ऐसा कर्मचारी संबन्धित माह के अन्तिम दिनांक को सेवानिवृत्त होगा।

(तीन) किसी बात के होते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी (स्थायी या अस्थायी) को किसी समय नोटिस द्वारा कोई कारण समनुदेशित किये बिना उससे 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त होने के लिए अपेक्षा कर सकता है या समय—समय पर संशोधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार ऐसा कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात या 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, जो भी पहले हो, किसी समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है।

*अधिसूचना 23 मई 2006 पशुधन अनुभाग -2 संख्या 2000सैतीस-2-2006-3(11)2004 दिनांक 17 मई 2006

अध्याय —11

सामान्य भविष्य निधि/विश्वविद्यालय भविष्य निधि

1. इस परिनियमों में —

क— “वेतन” का तात्पर्य मासिक वेतन से है और जिसमें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय—समय पर यथा परिभाषित समस्त नियत मासिक भत्ते सम्मिलित हैं।

सामान्य
भविष्य
निधि/
विश्वविद्यालय
भविष्य निधि

ख- "सेवा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी से है जिसमें, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी सम्मिलित नहीं होंगे जो सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हों या जो सरकारी पद से अवकाश लेने के उपरान्त विश्वविद्यालय के किसी स्थायी अथवा अस्थायी पद पर या विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चल रही किसी योजना में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये हों ।

ग "अभिदाता" का तात्पर्य उस कर्मचारी से है, जो इस परिनियमावली के अधीन विश्वविद्यालय भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि में निक्षेप करता हो ।

घ. "बचत बैंक" तात्पर्य डाकघर या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से है जहाँ बचत खाता हो ।

ड. "ब्याज" का तात्पर्य डाकघर बचत बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बचत बैंक में जमा पूँजी पर संदत्त ब्याज से है, जो कि समय-समय पर डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक, बचत बैंक द्वारा निर्धारित किया जाय ।

च- "आश्रित" का तात्पर्य अभिदाता द्वारा नामनिर्दिष्ट मृतक के निम्नलिखित रिश्तेदारों में से उस रिश्तेदार से है, जो सामान्य भविष्य निधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया हो जैसे पत्नी, पति, पुत्र, माता-पिता, बच्चों, छोटा भाई, अविवाहित बहिन एवं मृतक के पुत्र की विधवा और उसके बच्चे ।

2. विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी/ अभिदाता अपने वेतन के 10 प्रतिशत के दर से विश्वविद्यालय भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि में अभिदान करेगा जिसके लिए यू0 पी0 एफ0 और जी0 पी0 एफ0 लेखा के प्रयोजन से खाता खोला जायेगा। और धनराशि में जी0 पी0 एफ0 लेखा में जमा किया जाएगा। तथापि अभिदाता का अपने वेतन के 20 प्रतिशत की सीमा तक अंशदान करने की अनुज्ञा होगी, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय भविष्य निधि में अभिदान की दरें तथा विहित रूप में रहेगी । प्रस्तुत किये गये प्रत्येक वेतन बिल पर कटौती विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। इस कटौती की गणना में एक रुपये के भिन्न को छोड़ दिया जाएगा। अवकाश पर होने या पूर्ण वेतन से कम वेतन आहरित करने पर अभिदाता द्वारा अभिदान ऐच्छिक होगा । नीचे खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा अभिदान के साथ-साथ इस प्रकार कटौती की गई धनराशि कोषागार/बचत बैंक में जमा की जायेगी । मासिक कटौतियाँ और अभिदानों के सम्बन्ध में संदाय, यथा सम्भव, धनराशि की प्राप्ति के दो दिन के भीतर कोषागार/बचत बैंक में किया जायेगा, जिससे कि ब्याज प्रोद्भूत हो सके । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।

डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक विश्वविद्यालय भविष्य निधि के सभी अभिदाताओं के वैयक्तिक खाते खोले खोलेंगे । विश्वविद्यालय यह व्यवस्था करेगा कि इन खातों में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियाँ समय से कोषागार/बचत बैंक खातों/डाकघर में भेज दी जाए । इस परिनियमावली में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण दर्शाने वाली एक सूची प्रपत्र संख्या-एक में सलंगन की जाएगी । विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी का जी0 पी0 एफ0 खाता विश्वविद्यालय में होगा और उक्त जी0 पी0 एफ0 धनराशि मथुरा स्थित कोषागार में जमा

किया जाएगा ।

3. वित्त अधिकारी सरकारी उपबन्धों के अनुसार कटौतियों और ब्याज सहित भविष्य निधि खातों का विवरण अनुरक्षित रखेगा ।

4. भविष्य निधि खाता से आहरण की अनुज्ञा तभी दी जाएगी जब विश्वविद्यालय में किसी अभिदाता की सेवाएं उसकी सेवानिवृत्ति त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा के कारण समाप्त हो जायें। परन्तु कोई सेवक, जिसकी सेवायें कार्य परिषद की राय में घोर अवचार के कारण समाप्त कर दी गई हो, विश्वविद्यालय द्वारा उसकी ओर किये गये अभिदान और किसी अभिदान पर ब्याज की धनराशि प्राप्त करने का हकदार न होगा और इस पर परिनियम, के अधीन रोका गया ब्याज विश्वविद्यालय का होगा और इसे विश्वविद्यालय के खाते में जमा कर दिया जायेगा ।

कर्मचारी उस पर उपगत ब्याज सहित समस्त विश्वविद्यालय अभिदान प्राप्त करने का केवल तभी हकदार होगा जब वह न्यूनतम 36 माह की अवधि तक विश्वविद्यालय में सेवा कर लिया/ली हो और उसने पद से त्यागपत्र देने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो ।

5. किसी अभिदाता या उसके आश्रित की गम्भीर बीमारी, भू-कय, भवन निर्माण या पुराने भवन के मरम्मत, बच्चों की शिक्षा या अभिदाता की प्रास्थिति अनुरूप किसी अन्य बाध्यकर व्ययों, जिन्हें रूढ़िगत प्रथाओं द्वारा उसे उस पर वास्तविक रूप में आश्रित व्यक्तियों के विवाहों, दाहसंस्कारों और अन्य गृहकर्मों के सम्बन्ध में उपगत कराना हो, की स्थिति में, कुलपति किसी अभिदाता को उसके द्वारा अभिदान की गई धनराशि और उस पर ब्याज की धनराशि और ब्याज की धनराशि से उतनी धनराशि, जितना कुलपति उचित समझे अस्थायी रूप में आहरण करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु अग्रिम में ली गई धनराशि अभिदाता के छः माह के वेतन या अभिदाता द्वारा अभिदान की गई धनराशि, जिस पर ब्याज सम्मिलित हो, के पचास प्रतिशत जो भी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/सरकार के उपबन्धों के अनुसार कम हो, से अधिक नहीं होगी । कुलपति, तथापि, आपवादिक मामलों में, सीमा से अधिक ऋण की धनराशि का अनुमोदन प्रदान कर सकता है। परन्तु इस प्रकार अग्रिम में ली गयी धनराशि अभिदाता द्वारा अभिदानित धनराशि के पचहत्तर प्रतिशत धनराशि से अधिक नहीं होगी । यू0 पी0 एफ0 खाता से (प्रतिशत या अप्रतिशत) अग्रिम लेने के उपबन्ध का विनियमन इस रीति से किया जायेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रयोजन से विहित किया जाय ।

टिप्पणी- इस परिनियम के अधीन अग्रिम में दी गयी धनराशि ऐसी होगी जो छत्तीस समान मात्राओं में विभाज्य हो ।

6. खण्ड 5 के अधीन ली गई अग्रिम धनराशि का प्रतिदाय निधि में छत्तीस मासिक किश्तों में की जाएगी । तथापि स्वेच्छा से कोई अभिदाता छत्तीस किश्तों के कम किश्तों में भुगतान कर सकता है या अग्रिम स्वीकृत किये जाने के पश्चात पूर्ण माह के वेतन के प्रथम वेतन प्रारम्भ होने वाले दो या उससे अधिक किश्तों में प्रतिसंदाय कर सकता है। किश्तों का भुगतान वेतन या अवकाश वेतन से अनिवार्य कटौती द्वारा किया जाएगा और उक्त भुगतान पूर्ववत अभिदान के अतिरिक्त होगा ।

7. भविष्य निधि से अन्तिम आहरण की अनुज्ञा, अभिदाता द्वारा भवन निर्माण का क़य, अभिदाता के पुत्र या पुत्री के विवाह, अभिदाता के बच्चों को भारत के बाहर या अन्दर उच्च शिक्षा आदि के प्रयोजन के लिये उन्हीं निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त के सम्बन्ध में बनायी गयी नियमावली के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुमन्य हो ।

8. (1) प्रत्येक अभिदाता को विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के कार्यालय में इस परिनियमावली में अनुलग्न प्रपत्र दो में घोषणापत्र दाखिल करना होगा जिसमें यह दर्शाया जाय कि उसकी मृत्यु या विक्षिप्त हो जाने की स्थिति में अभिमोचित किये जाने हेतु निधि में अपनी संचित धनराशि (नामांकन) के सम्बन्ध में उसकी क्या इच्छा है। परन्तु यदि अभिदाता के आश्रित हो तो उसे किसी बाहरी व्यक्ति को नामांकित करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी ।

(2) अभिदाता विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन द्वारा समय-समय पर अपने नामित व्यक्तियों को परिवर्तित कर सकता है। ऐसे नामित व्यक्तियों की पंजी विश्वविद्यालय के कार्यालय में रखी जाएगी ।

9. सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय किसी अभिदाता को जी० पी० एफ० / यू० पी० एफ० खाते के नामे जमा कोई धनराशि, जो स्वयं को या अभिदाता के किसी आश्रित को या उसकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किन्ही व्यक्तियों को संदेह हो, किन्हीं कटौतियों के अधीन परिनियमावली द्वारा प्राधिकृत रूप में निहित होगी और अभिदाता की मृत्यु के पूर्व मृतक अधीन उपगत या आश्रित द्वारा उपगत किसी ऋण या अन्य दायित्व से मुक्त होगी ।

आज्ञा से
लव वर्मा,
प्रमुख सचिव

अध्याय -12

*यात्रा-भत्ता

1. विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार अनुमन्य/देय होगा ।
2. विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों कार्य परिषद के समस्त प्राधिकारियों सदस्यों को विश्वविद्यालय की बैठकों में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता शासनादेशानुसार देय होगा ।
3. अकार्यालीय सदस्यों को यात्रा-भत्ता उसी दर से देय होगा जिस दर से वह सदस्य निजी कारोबार के लिए यात्रा करते हैं ।
4. कुलपति किसी भी कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी को विश्वविद्यालय कार्य हित में हवाई यात्रा वातानूकूलित कोच या निजी वाहन/टैक्सी में यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं ।

*संशोधन: कार्य परिषद् बैठक संख्या 07 (20.12.2005), प्रस्ताव संख्या 16

प्रपत्र— एक

माह

पासबुक में अंकित खाता संख्या	अभिदाता का नाम	उसका अभिदान	विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान	योग
1	2	3	4	5

योग उत्तर प्रदेश पं० दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा
दिनांक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा

प्रपत्र—दो

..... के लिए अभिदान

घोषणा—पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी मृत्यु या विक्षिप्त होने की स्थिति में मेरी भविष्य निधि में मेरे नामे जमा धनराशि की नीचे उल्लिखित व्यक्तियों में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गयी रीति से आवंटित की जाएगी।

नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों के नाम और पता	अभिदाता का नाम	वयस्क या अवयस्क (यदि अवयस्क है तो उसकी जन्मतिथि का उल्लेख कीजिए)	जमा धनराशि के अंश की धनराशि
1	2	3	4

दिनांक

अभिदाता का हस्ताक्षर एवं

पदनाम

अभिदाता के हस्ताक्षर के दो साक्षी

- नाम
व्यवसाय
पता
- नाम
व्यवसाय
पता